भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 71AD 734712

यह जनरल स्टाम्प पेपर पं० लक्ष्मीनारायण मैमोरियल [illegible] सोसाइटी
जिला अलीगढ़ फाइल नं० AL-10397 के साथ संलग्न है।
संशोधित सूची

वरिष्ठ सहायक
कार्या० उप निबंधक फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
आगरा क्षेत्र, आगरा
03519

Scanned with CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

रु.10

TEN RUPEES

Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

71AD 734713

पं० लक्ष्मी नारायण मैमोरियल रूरल डवलपमेन्ट सोसाइटी

जिला अलीगढ़ ... 10397

संशो० नियमावली

सत्यमेव जयते

वरिष्ठ सहायक

कार्या० उप निबंधक फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स

आगरा क्षेत्र, आगरा

03/5/19

Scanned with CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 71AD 734714

यह बनाते स्टाम्प पेपर पं० लक्ष्मी नरायण मेमोरियल स्कूल डवलपमेन्ट सोसाइटी

जिला अलीगढ़ फाइल नं० A-10397

के साथ संलग्न है।

पृष्ठ फीस 2019-20

वरिष्ठ सहायक

कार्या॰ उप निबंधक फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स

आगरा क्षेत्र, आगरा

03519

Scanned with CamScanner

संस्था का नाम :- पं0 लक्ष्मी नारायण मैमोरियल रूरल डवलपमेण्ट सोसाइटी, ग्राम व पोस्ट घरबरा, अलीगढ़ ।

प्रबन्धकारिणी समिति के सदस्यों की सूँची वर्ष:-2019-2020

क्रं0सं0 नाम	पिता/पति	पता	पद	व्यवसाय
1-श्री महेन्द्र	श्री श्री चन्द	म0नं0-57-ए, ग्राम व पोस्ट हाजीपुर तहसील व जिला गुडगांव ।	अध्यक्ष	कृषि
2-श्री प्रवीण कुमार	श्री नवल किशोर	म0नं0-299-वार्ड नं0-3, पुराना जी0टी0 रोड, पलवल ।	उपाध्यक्ष	कृषि
3-श्रीमती शकुन्तला देवी	स्व0संजय कुमार शर्मा	ग्राम व पोस्ट घरबरा तहसील खैर जिला अलीगढ़ ।	प्रबन्धक/ सचिव	कृषि
4-श्री भोजराज शर्मा	श्री करन सिंह शर्मा	ग्राम व पोस्ट घरबरा तहसील खैर जिला अलीगढ़ ।	उपप्रबन्धक/ उपसचिव	कृषि
5-श्री अजय शर्मा	श्री महेन्द्र शर्मा	मुवारिकपुर तहसील मॉट जिला मथुरा ।	कोषाध्यक्ष	कृषि
6-श्री नरेन्द्र शर्मा	श्री ज्ञान चन्द शर्मा	ग्राम व पोस्ट पलवली जिला फरीदबाद।	सदस्य	कृषि
7-श्री सुदेश शर्मा	श्री राजा राम शर्मा	ग्राम व पोस्ट साबौता तहसील जेबर जिला गौतम बुद्ध नगर ।	सदस्य	कृषि
8-श्रीमत्ती प्रभा देवी	श्री धर्मपाल शर्मा	ग्राम व पोस्ट जट्टारी तहसील खैर जिला अलीगढ़ ।	सदस्य	गृहणी
9-श्री राजपाल	श्री रतन लाल	ग्राम व पोस्ट टप्पल तहसील खैर जिला अलीगढ़।	सदस्य	कृषि
10-श्री महावीर शर्मा	श्री भगवान सहाय	ग्राम व पोस्ट मुबारिकपुर तहसील मॉट जिला मथुरा ।	सदस्य	कृषि
11-श्री नानक चन्द शर्मा	श्री रोशन लाल	ग्राम व पोस्ट बीरूआ नगला तहसील खैर जिला अलीगढ़ ।	सदस्य	कृषि

शकुन्तला देवी महेन्द्र

प्रभोदेवी प्रवीन कुमार

सुदेश Ajay

सत्य प्रतिलिपि

वरिष्ठ सहायक
कार्या॰ उप निबंधक फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
आगरा क्षेत्र, आगरा

03519

Scanned with CamScanner

संशोधित स्मृतिपत्र

1. संस्था का नाम : लक्ष्मी नारायण मेमोरियल रूरल डवलपमेंट सोसाइटी।
2. संस्था का पता : ग्राम पो0 घरबरा, अलीगढ
3. संस्था का कार्यक्षेत्र : समस्त भारतवर्ष कार्यक्षेत्र होगा।
4. संस्था के उद्देश्य :

1. समाज के पिछड़े और उपेक्षित वर्ग के लोगों को शैक्षणिक, सामाजिक विकास हेतु प्रोत्साहित करना।

2. संस्था का उद्देश्य शिक्षा का प्रसार व प्रचार करना शिक्षा के विकास हेतु जगह–जगह विद्यालयों की स्थापना करना व उनका विधिवत संचालन कर छात्र छात्राओं को सामाजिक, नैतिक, शैक्षिक, बौद्धिक चारित्रिक, शारीरिक, साहित्यिक, रचनात्मक, कलात्मक उन्नति का समुचित प्रयास करना।

3. संस्था का उद्देश्य बालकों के शिक्षा के उत्तरोत्तर विकास हेतु नर्सरी स्तर से प्राथमिक, जूनियर हाई स्कूल, हाई स्कूल, इण्टरमीडिएट कालेज, तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा एवं महाविद्यालयों की स्थापना करना तथा शासन के नियमानुसार उनका संचालन करना। दूर दराज के क्षेत्र में कम्प्यूटर प्रशिक्षण देने की व्यवस्था करना व संचालन करना।

4. संस्था का उद्देश्य निर्धन, असहाय, विकालॉग, बालक–बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना व उन्हें छात्रवृत्ति दिलाने की भी व्यवस्था करना।

5. कीड़ा केन्द्रों, व्यायामशाला, पुस्तकालय, वाचनालय, एवं खेल सामग्री की उचित व्यवस्था करना।

6. केन्द्रीय एवं राज्य सरकार, समाज कल्याण विभाग एवं शिक्षा विभाग द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं को कार्यान्वित करना तथा सम्बन्धित विभाग से सम्पर्क स्थापित कर सहायता प्राप्त करना तथा प्राप्त आय का उपयोग संस्था हित में करना।

7. क्षेत्र में चिकित्सा हेतु निःशुल्क चिकित्सालय की स्थापना करना।

8. ग्रामोद्योग व कृषि शिक्षा संस्थानों, दूरस्थ शिक्षा, संस्थानों की स्थापना करना व उनका विधिवत संचालन कर युवक युवतियों को स्वावलम्बी एवं आत्मनिर्भर बनाना।

9. संस्था के अन्तर्गत संचालित किये जाने वाले संस्थानों के भवन निर्माण, विकास एवं उन्नयन हेतु राष्ट्रीयकृत बैंक, निजी बैंक, अन्य वित्तीय संस्थानों तथा राज्य संस्थानों आदि से ऋण प्राप्त करना।

प्रभादेवी
महेन्द्र
[signature]
[signature]
महावीर
भोजराज शर्मा
प्रवीन कुमार
नरेन्द्र
राजपाल
ज्ञानचन्द
सुरेश शर्मा

सत्य प्रतिलिपि
[signature]
वरिष्ठ सहायक
कार्या० उप निबंधक फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
आगरा क्षेत्र, आगरा
03519

Scanned with CamScanner

संशोधित - नियमावली

1. संस्था का नाम - पं० लक्ष्मी नारायन मैमोरियल रूरल डवलपमेन्ट सोसाइटी
२. संस्था का पता - ग्राम व पो० धनबरो अलीगढ़
३. संस्था का कार्यक्षेत्र - समस्त उत्तर प्रदेश होगा ।
४. संस्था का उद्देश्य - संलग्न स्मृतिपत्र के अंकितानुसार होंगें ।
५. संस्था की सदस्यता तथा सदस्यों के वर्ग -

<u>संरक्षक सदस्य</u> - जो सज्जन इस संस्था को एक मुश्त ५०१/- रूपये दान स्वरूप निस्वार्थ भाव से देंगें अथवा इतने या इससे अधिक मूल्य की कोई अचल या चल सम्पत्ति देंगें वे इस संस्था के संरक्षक सदस्य बनाये जावेंगें ।

<u>आजीवन सदस्य</u> -जो सज्जन इस संस्था को एक मुश्त १०००/- रू० दान स्वरूप निस्वार्थ भाव से देंगें अथवा इतने या इससे अधिक मूल्य की कोई अचल या चल सम्पत्ति स्वरूप देंगें वे इस संस्था के आजीवन सदस्य होंगें।

<u>सामान्य सदस्य</u> - जो सज्जन इस संस्था को २५०/- रू० वार्षिक सदस्यता शुल्क या चंदा के रूप में दिया करेंगें वे इस संस्था के सामान्य सदस्य बनाये जावेंगें ।

<u>विशिष्ट सदस्य</u> - ऐसे सज्जन जिनकी आवश्यकता इस संस्था को महसूस हो रही होगी एंव संस्था का तन, मन, धन से सहयोग करने के लिए तत्पर रहते हों व जो विद्वान होंगें सरकार द्वारा सम्मानित एंव उपाधि प्राप्त सदस्यों जन प्रति निधि सदस्यो को वर्तमान कार्यकारिणी समिति दो वर्ष के लिऐ संस्था का विशिष्ट सदस्य मनोनीत करेगी ऐसे सदस्य सदस्यता शुल्क से मुक्त होंगें उनकी स्वेच्छा से दिया गया दान चंदा संस्था को स्वीकार होगा । ऐसे सदस्यो को चुनाव में मत देने का एंव भाग लेने का अधिकार न होगा ।

६. सदस्यता की समाप्ति -

१. सदस्य की मृत्यु होने पर, पागल या दिवालिया घोशित हो जाने पर ।
२. आचरण भ्रष्ट होने एंव संस्था विरोधी कार्य करने पर ।
३. किसी न्यायालय द्वारा दंण्ड दिये जाने पर ।
४. सदस्यता शुल्क समय से अदा न करने पर ।
५ संस्था की लगातार तीन बैठकों मे बिना किसी कारण के बताये अनुपस्थित होने पर ।
६ किसी सदस्य के विरूद्ध२/३ बहुमत से अविश्वास का प्रस्ताव पारित होने पर।
७. सदस्य द्वारा त्यागपत्र दिये जाने पर व उसे स्वीकृत होने पर सदस्य की सदस्यता स्वत: ही समाप्त मानी जायेगी ।

७. संस्था के अंग -अ. साधारण सभा ब. प्रबन्धकारिणी समिति

८. साधारण सभा -

गठन - साधारण सभा का गठन संस्था के सभी सदस्यो का मिलाकर किया जावेगा ।

बैठक - साधारण सभा की सामान्य बैठक वर्ष में एक तथा विशेप बैठक आवश्यकता अनुसार बुलाई जावेगी ।

सूचना अवधि - साधारण सभा की सामान्य बैठक की सूचना सदस्यों को ०७दिन पूर्व तथा विशेप बैठक की सूचना २४ घन्टे पूर्व दी जावेगी ।

देवीचरन शर्मा
मनोज कुमार
राजेश्वरी देवी
राजेश कुमार

सत्य प्रतिलिपि
वरिष्ठ सहायक
कार्या० उप निबंधक फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
आगरा क्षेत्र, आगरा
03519

Scanned with CamScanner

गणपूर्ति -गणपूर्ति के लिए २/३ सदस्यो की उपस्थिति का कोरम होगा ।
विशेप वार्पिक अधिवेशन की तिथि - संस्था का विशेप अधिवेशन प्रति वर्प हुआ करेगा जिसकी तिथि प्रबन्धकारिणी समिति के बहुमत से तय की जायेगी ।
साधारण सभा के कर्तव्य एंव अधिकार -

१. प्रबंध समिति का समय- समय पर निर्वाचन सम्पन्न करवाना ।

२. संस्था के वार्पिक आय व्यय बजट आदि वार्पिक कार्यक्रमों की रिपोर्ट तैयार करना व उन्हे स्वीकृत करना ।

३. संस्था के नियमों व विनियमों में संशोधन एंव परिवर्तन करना।

९. प्रबन्धकारिणी समिति :-

अ.गठन - प्रबन्धकारिणी समिति का गठन आम सभा के बहुमत से कमसेकम ११ सदस्यो को मिलाकर किया जायेगा जिसमें एक अध्यक्ष एक उपाध्यक्ष एक प्रबंधक/सचिव एवं उपप्रबन्धक/उपसचिव एक कोपाध्यक्ष एक आडीटर तथा शेप कार्यकारिणी समिति के सदस्य होंगें ।

ब. बैठक - प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठक को वर्प में दो तथा विशेप बैठक कभी भी आवश्यकता अनुसार बुलाई जावेगी ।

स. सूचना अवधि-प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठक की सूचना सदस्यो को ०७ दिन पूर्व तथा विशेप बैठक की सूचना सदस्यों को २४घंटे पूर्व सूचना के किसी भी पर्याप्त माध्यम से दी जावेगी ।

द. गणपूर्ति :गणपूर्ति के लिए २/३ सदस्यों की उपस्थिति का कोरमहोगा ।

<u>य. रिक्त स्थानोंकी पूर्ति :-</u>प्रबन्धकारिणी समिति के कोई आकस्मात स्थानरिक्त हो जाता है तो उस रिक्त स्थान की पूर्ति प्रबन्ध समिति की बहुमत से साधारण सभा मे से शेप कार्यकाल के लिऐ कर ली जावेगी ।

र. प्रबंधकारिणी समिति के अधिकार व कर्तव्य -

१. संस्था की उन्नति व विकास हेतु हर संभव प्रयास करना व प्रस्ताव पास करना

२. संस्था के नियमों विनियमों में संशोधन परिवर्तन परिवर्धन २/३ बहुमत से करना ।

३. संस्था का वार्पिक बजट व वार्पिक कार्यक्रमो की रूपरेखा तैयार करना ।

<u>ल. कार्यकाल:-</u>प्रबन्धकारिणी समिति का कार्यकाल पॉच वर्प का होगा ।

<u>१०. पदाधिकारियों के अधिकार एंव कर्तव्य -</u>

अध्यक्ष :-

अ. अध्यक्ष का मुख्य कार्य बैठकों की अध्यक्षता करना ।

ब. मीटिग बुलाना व स्थिगित करना किसी विपय पर बराबर मत की दशा मे अपना निर्णायक मत देना ।

उपाध्यक्ष : अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसके द्वारा प्रस्तावित कार्य करना व उपस्थिति में कार्यो में सहयोग करना ।

प्रबन्धक/सचिव:- अ.संस्था की ओर से समस्त प्रकार का पत्राचार करना मीटिग बुलाना उसकी सूचना सदस्यो तक पहुॅचाना ।

सत्य प्रतिलिपि
वरिष्ठ सहायक
कार्या० उप निबंधक फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
आगरा क्षेत्र, आगरा
3519

ब. संस्था के कार्यक्रमो की रूपरेखा तैयार करना व उसका प्रचार प्रसार करना निर्धारण व नियमावली आदि बनाना ।

स.संस्था की अचल चल सम्पत्ति की सुरक्षा करना दान,अनुदान, चंदा सदस्यता शुल्क प्राप्त करना प्राप्त आय को संस्था कोष मे जमा करना ।

य. संस्था की ओर से समस्त प्रकार की अदालती कार्यवाही की पैरवी करना एंव अभिलेखों को अपने पास सुरक्षित रखना ।

द.संस्था के अंतर्गत संचालित शिक्षा संस्थानों व विद्यालयों मे कार्यरत कर्मचारियो एंव कार्यकर्ताओं की नियुक्ति, निष्कासन, पदोन्नति एंव पदच्युत करना वेतन भोगी कर्मचारियो की वेतन तयकरना व उसका भुगतान करना ।

य. संस्था के समस्त आवश्यक दस्तावेजों ऋण,अनुदान, पत्रों, चैकों, ड्राफ्टों बन्धक विलेखों, बिल बाउचरों पर हस्ताक्षर करना ।

र. संस्था के विकास हेतु अन्य वे सभी आवश्यक कार्य करना जो संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति ऐव संस्था के विकास में सहायक हों ।

उपप्रबंधक/उपसचिव :-प्रबन्धक/सचिव की अनुपस्थिति में उनके द्वारा सौंपे गये सभी कार्यो को करना उपस्थिति में कार्यो में सहयोग करना ।

कोषाध्यक्ष - समिति के कोष से सम्बन्धित हिसाब किताब रखना ।

१. संस्था के आय व्यय विवरण को रखना ।

२. संस्था के प्रबन्धक/सचिव द्वारा सौंपे गये सभी कार्य करना ।

३. संस्था की प्रबंधसमिति द्वारा हस्ताक्षरित बिलोंका भुगतान करना ।

आडीटर - संस्था के आय व्ययविवरण का प्रति वर्ष आडिट करना ।

११. **संस्था के नियमों विनियमों में संशोधन प्रकिया** :- संस्था के नियमों विनियमों में संशोधन परिवर्तन परिवर्धन साधारण सभा के २/३ बहुमत से करना ।

१२- **संस्था के कोष** :- संस्था के कोष किसी राष्टीयकृत बैंक अथवा डाकघर में खाता खोलकर रखा जायेगा जिसका संचालन प्रबंधक/सचिव एंव कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा ।

१३- **संस्था का लेखा परीक्षण 'आडिट'**:-संस्था का लेखा परीक्षण प्रति वर्ष सत्र समाप्ति पर किसी योग्य आडीटर अथवा चार्टर्ड एकाउण्टेंट द्वारा किया जायेगा ।

१४- **संस्था के द्वारा अथवा उसके विरूद्ध अदालती कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्व** -यदि दुर्भाग्यवश संस्था पर कोई मुकदमा चलाता है तो मुकदमो की पैरवी प्रबंधक/सचिव अथवा उसके अधिकृत व्यक्ति द्वारा की जावेगी ।

१५- **संस्था के अभिलेख** :- संस्था के अभिलेख निम्न प्रकार के होंगें :-

१. सदस्यता रजिस्टर

२. कार्यवाही रजिस्टर

३. लेजर कैशबुक स्टॉक रजिस्टर आदि

१६- **संस्था का विघटन** :-संस्था के विघटन और विघटित सम्पत्ति के लिऐ निस्तारण की कार्यवाही सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन अधिनियम की धारा १३ व १४ के अनुसार की जायेगी ।

सत्यप्रतिलिपि

दिनांक :-

सत्य प्रतिलिपि
वरिष्ठ सहायक
कार्यालय उप निबंधक फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
आगरा क्षेत्र, आगरा
63519